"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2006—माघ 21, शक 1927

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

द्वितीय आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 43/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित नल-जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	08-02-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	10-02-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	13-02-2006 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	13-02-2006 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

विलासपुर जिले के विकास खण्ड मरवाही में स्थित ग्राम बंसीताल/दानीकुंडी नल जल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के सी. आई. टाईटन पाइप क्लास एल. ए. यू. पी. व्ही. सी. पाइप क्लास 10 बी बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य एवं 2 नग पंपगृह निर्माण का (विभागीय टाइप डिजाइन के अनुसार) समस्त सिविल कार्य तथा वाल्व चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग तथा पाइप लाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य. (सभी सामग्री सहित). (संलग्न G/Schedule के अनुसार)

समूह क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम बंसीताल/दानीकुंडी विकास खंड मरवाही 2 नग पंप हाउस एवं (उल्लेखित विवरण के अनुसार)	14.80 लाख	11100/-	750/-	4 माह	ए-2/एस-2 एवं उससे ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. कार्य के लागत की 60 प्रतिशत कार्य एक वित्तीय वर्ष में संपादन करने का प्रमाण-पत्र. (कार्यपालन अभियंता एवं उनसे उच्च अधिकारी) का प्रस्तुत करने पर ही निविदा में आवेदन की पात्रता रहेगी.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. धरोहर की राशि के रूप में सिर्फ Interest bearing Security ही मान्य होगा.

5. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

6. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) **पाइप लाइन बिछाने का कार्य :-** प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल ([illegible] नयी Unified Schedule of Rates for the work of water supply & Sewerage pipe lines inforce from 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोकस्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो.स्वा.यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

उपरोक्त दोनों दर सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

7. कार्य में लगने वाले यू. पी. व्ही. सी. पाइप (Class 10) का प्रदाय ठेकेदार को स्वयं करना होगा. कार्य में लगने वाली सी आई टाईटन पाइप क्लास एल ए का प्रदाय भी ठेकेदार को स्वयं करना होगा. कार्य स्थल तक परिवहन लोडिंग-अनलोडिंग ठेकेदार को स्वयं करना होगा. किसी भी तरह की टूट-फूट के लिये स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा.

8. कार्य में लगने वाला सीमेंट ठेकेदार को स्वयं क्रय कर कार्य में लगाना होगा. सीमेंट का प्रदाय ISI मार्क OPC सीमेंट IS:A 269/75 पूर्ण संशोधित लगाना होगा, साथ ही Test प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

9. कार्य में लगने वाले C.I. Tyton Pipes एवं यू. पी. व्ही. सी. पाइप वाल्व, स्पेशल्स, टायटन, ज्वाइंट/सी आई डी ज्वाइंट एवं अन्य आवश्यक साम्ग्री ठेकेदार को स्वयं लगना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

10. कार्य में लगने वाला स्टील ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

11. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

12. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

13. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

(Attested copy)

(1) छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ. ग. शासन के बिक्री पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र तथा कार्य का नाम मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूची संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

14. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-04 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

15. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अन्तर्गत किया जावेगा.

16. निविदा सूचना छ.ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ e.g.nic. प्राप्त कर सकते हैं.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़

प्रारूप-4

[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) एवं छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/25/प्र./अ.वि.अ./06.—चूंकि आवेदक श्री विनोद खांडेकर, अध्यक्ष, प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17-2-2006 को विचार हेतु नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

(1) लोक न्यास का नाम : प्रज्ञागिरी (पहाड़ी), राजीव नगर वार्ड नं. 9, डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

(2) चल संपत्ति : चल सम्पत्ति के रूप में रु.1000/- (एक हजार) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ में जमा है.

जी. सी. नाहटा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा (छ. ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक/मा.चि./17/2006.—वन परिक्षेत्र अधिकारी दन्तेवाड़ा के पत्र क्र./डी.टी./1304 दिनांक 30-8-05 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये पासिंग हैमर जो परिक्षेत्र अधिकारी दन्तेवाड़ा को ग्राम छोटे गुडरा के शासकीय राजस्व भूमि में अवैध रूप से काटे गये काष्ठ पासिंग हेतु प्रदाय किया गया था श्री नरहरि कश्यप वनरक्षक, परिसर रक्षक मोखपाल द्वारा गुमा दिया गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे.

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये गुमशुदा पासिंग हैमर (DW 18) आकृति को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत रुपये 605.00 (छः सौ पांच रुपये मात्र) वनरक्षक नरहरि कश्यप परिसर रक्षक मोखपाल से वसूल करने का आदेश दिया जाता है. शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावाली चेतावनी के साथ भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना या वन कार्यालय में जमा करे. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर अनाधिकृत रूप से रखने या अवैध उपयोग में लाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एस. एम. टी. नकवी,
वन मण्डाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.